रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 880] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2014/चैत्र 21, 1936
No. 880] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2014/CHAITRA 21, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2014

का.आ. 1072(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के जिला पाटण विषेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, प्रांत अधिकारी पाटण, आर्टस एंड कार्मस कॉलेज रोड, पाटण, गुजरात को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो वैयक्तिक या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

गुजरात राज्य में विषेष रेल परियोजना अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

जिले का नाम : पाटण

तालुका का नाम : सिध्धपुर

क्र.सं.	गांव का नाम	सर्वेक्षण सं. /प्लाट सं.	हेक्टर में क्षेत्रफल
1	2	3	4
1	सिध्धपुर	1211	0.0175
		769/2	0.1897
		601/2	0.0726
2	खली	425/2	0.0700
		427	0.0064
3	सुजानपुर	240/1	0.0045
		239/1	0.0023
		239	0.1799
		237/2	0.1353
		235/2	0.1860
		235/3	0.1282

[फा. सं. 20013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यू सी/469]

अचल जैन, कार्यकारी निदेषक (भूमि और सुविधाएं–1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2014

S.O. 1072(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the District Patan, in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer, Patan, Arts and Commerce College Road, Patan, Gujarat in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be acquired with or without Structure for the special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Name of District: Patan

Name of Taluka: Siddhpur

Sr. No.	Name of Village	Survey/Block No.	Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Siddhpur	1211	0.0175
		769/2	0.1897
		601/2	0.0726
2	Khali	425/2	0.0700
		427	0.0064
3	Sujanpur	240/1	0.0045
		239/1	0.0023
		239	0.1799
		237/2	0.1353
		235/2	0.1860
		235/3	0.1282

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/469]
ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.